

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 9, 2014/आषाढ़ 18, 1936

No. 351]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 9, 2014/ASHADHA 18, 1936

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2014

सा.का.नि. 438(अ).—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दूरसंचार आयोग (सदस्य) भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया है, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार आयोग में सदस्य (सेवाएं) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार आयोग, सदस्य (सेवाएं) भर्ती नियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड ग्रेड वेतन या उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

(1)

2790 GI/2014

- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित मामले उपर्युक्त अनुसूचियों के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) तक विनिर्दिष्ट हैं।
- **4**. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व- सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद	का नाम	। पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड	चयन पद है या	सीधे भर्ती किए	
				वेतन या वेत	निअव न्यन	पद्माने वाले	
						व्यक्तियों के लिए	
						आयु-सीमा	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सदस्य	सेवाएं)	1* (2014) (साधारण केन्द्रीय सेवा समूह	₹ 80000	लागू नहीं	ॡोसू ।नहीं	होता
		*कार्यभार के आधार पर	"क" राजपत्रित	अनन् य चि त्रीय			
		परिवर्तन किया जै॥सक	ग ह				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में होंगीलागूनहीं या	परिवीक्षा की य द्रिक् शिई	भर्त्शी की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत
			अल्प कालिक संविदा या आमेलन
			भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति याद्वसमेलार्नी की दशा में वे श्रेणियां प्रोक्कितसे	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है	भर्ती करने के लिए किन
	तो उसकी संरचना	परिस्थितियों में संघ लोक
प्रतिनियुक्ति आमेलन/किया जाएगा		सेवा आयोग से परामर्श
		किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति जिसके आंतर्गत अल्प कालिका संक्रीभेदेशन भी है):	आमेलित किए जाने वाले व्यक्तियों	संघ लोक सेवा आयोग से
	की पुष्टि के लिए	परामर्श करना आवश्यक
 केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र या अर्ध सरकारी या कानूनी	समूह "क " विभागीय पुष्टिकरण	है।
निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान	समिति :-	टिप्पण- आयोग को भर्ती की संपूर्ण प्रक्रियाओं में
संस्थाओं े क ऐसे अधिकारी:-	1. मंत्रिमंडल आस्विक्का-	अन्तर्वलित किया जाएगा।
 (i) जो्क्मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए	2. प्रधानमंत्री के प्रधान	
हैं ; या	सचिव सदस्य	-
्र, जिन्होती)उच्चतर वेतनमान	 3. गृह सचिव सदस्य	-
 (एचएजी) [₹] 67000-79000 के वेतनमान या समतुल्य में नियमित आधार पर उस	 4. सचिव (कार्मिक), कार्मिक और	
`` ' ' पद पर नियुक्ति े पश्चात् न सूनतम वर्षकीदो नियक्सीतह्यो;क्यौर	्र प्रशिक्षण विभाग सदस्य	-
ींक्आ (िलोंखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभ्रेंव रखते :-	5 सचिव, दूरसंचार	
आवश्यक अर्हताएं <u>:</u>	विभाग सदस्य	_
(I) किसी मान्यताप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल या		
इलैक्ट्रोनिक और इलेक्ट्रिकल संचार या कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरी में		
डिग्री या इंजीनियर संस्थान[एएमआईई] (इलेक्ट्रिकल) के सहयुक्त सदस्य		
या इलैक्ट्रोनिक्स औ संस्थामा रआईईटीई() से स्नातका		
(॥) सरकारी या औद्योगिक उद्यमों में दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 20 वर्ष		
का कार्य करने का अनुभव जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का		
अभिदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) विधि का ज्ञान भी		
सम्मिलित है।		
वांछनीय अर्हताएं :-		
 I. किसी मान्यताप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से वैधुत या इलेक्ट्रोनिक्स और वैधुत		
संचार इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री।		
या		
│ │Ⅱ. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से प्रबंधन अध्ययन में मास्टर डिग्री,		
कारोबार प्रशासन एमबीए)) में मास्टर डिग्री		
टिप्पण 1 : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में कार्यरत अधिकारी ही आमेलन के पात्र हिंगिंगे।		
टिप्पण 2 : केंद्रीय केसरकार किसी बा न्य संगठन यमेंविभा मि यु द्धिरसे		
ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत		
अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए		
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक		
नहीं होगी।		
टिप्पण 3 : आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य		
पात्रता की शर्तें आमेलन के मामलों में लागू नहीं होंगी। ऐसे अधिकारी जिनकी रिक्ति		
होने की तारीख को न्यूनतम एक वर्ष की अवशिष्ट सेवा हो, आमेलन के होगें।पात्र		
	<u> </u>	

(I) टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या केंतिसीमान सेवा गई समझा जाएगा।

[फा. सं. 1-1/2010-प्रशासन-I]

अनुराधा गणेश, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2014

- **G.S.R. 438** (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Telecom Commission (Members) Recruitment Rules, 2013 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Member (Services) in the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Telecommunications in the Telecom Commission, namely:—
- 1. **Short Title and Commencement**.—(1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Telecommunications, Telecom Commission Member (Services), Recruitment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedules aforesaid.
 - 4. **Disqualification**.—No person
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of this rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade	Whether selection	Age Limit for Direct
			Pay or Pay Scale	or Non-selection	Recruits
				post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Member (Services)	1* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'A' Gazetted Non- Ministerial	₹ 80000 (FIXED)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification	Whether age and Educational	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by Direct
required for Direct Recruits	Qualification prescribed for Direct		Recruitment or by promotion or by
	Recruits will apply in the case of		deputation or absorption and percentage
	promotees		of the vacancies to be filled by various
			methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (Including short-term
			contract/Absorption)

In case of recruitment by promotion or	If a Departmental Promotion Committee exists what	Circumstances in which Union Public	
deputation or absorption grades from which	is its composition	Service Commission is to be consulted	
promotion or deputation or absorption to be		in making recruitment	
made			
(11)	(12)	(13)	
Deputation (including short-term contract)/	Group 'A' Departmental Confirmation	Consultation with Union Public	
absorption:	Committee for confirmation of absorbees:—	Service Commission necessary.	
Officers of Central Government or State	1. Cabinet Secretary —Chairman	Note:- The Commission shall be	
Governments or Government of Union	2. Principal Secretary to Prime Minister —Member	involved in the whole process of	
Territories or Semi Government/Statutory	3. Home Secretary —Member	Recruitment.	
Bodies/Public Sector Undertakings/	4. Secretary (Personnel), Department of		
Autonomous Bodies/Recognised Research	Personnel and Training —Member		
Institutions.	5. Secretary, Department of Telecom —Member		
A) (I) holding analogous posts on regular basis			
in the parent cadre or Department; or			
(II) minimum two year's of regular service			
in the Higher Administrative Grade (HAG)			
scale ₹ 67000-79000 or equivalent			
rendered after appointment thereto on			
regular basis; and			
(B) Possessing the following educational			
qualifications and experience:—			
Essential Qualifications:			
(I) Degree in Engineering in Electrical or Electronics and Electrical			
Communications or Computer Science			
from a recognised institution or university			
or Associates Member of the Institution of			
Engineers [AMIE (Electrical)] or Graduate			
from Institute of Electronics and			
Telecommunications (IETE); and (II) Working experience of twenty years in the			
field of Telecommunications Technology			
in Government or industrial enterprises			
including exposure to and knowledge of			
International Telecommunications Union			
and the Law of International			
Telecommunications Union (ITU).			
Desirable Qualifications: I. Masters degree in Engineering in Electrical or			
Electronics and Electrical Communications			
or Computer Science from a recognised			
institution or university, or			
II. Masters degree in Management Studies,			
Master degree in Business Administration			
(MBA)/from a recognized institution or			
university.			
um versity.			

Note-1. Officers working in Central or State or Union Territory Governments shall only be eligible for absorption.

Note-2. Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note-3. The normal eligibility conditions of maximum age of fifty six years on the date of closing of receipt of application shall not be applicable in cases of absorption. The officers with minimum one year's residual service on the date of occurrence of vacancy shall only be eligible for appointment by absorption.

Note: 4. For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

[F. No. 1-1/2010-Admn. I] ANURADHA GANESH, Under Secy.